कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0 / युगल पीठ / ——— / 2022 दि0::लखनऊःदि0::अगस्त 02, 2022

–:: आदेश ::–

मुख्यालय के आदेश संख्या–वा0क0अधि0 / पूर्ण पीठ / 1104 / 2022 दिनांक 02.0.8.2022 द्वारा सदस्य पीठ–अलीगढ़ के कार्यालय में लम्बित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्रतिप्रेषित द्वितीय अपील संख्या–225 / 2012 वर्ष 2007–08 स / ब सर्वश्री न्यौली शुगर फैक्ट्री, कासगंज की सुनवाई व निस्तारण हेतु अलीगढ़ पीठ में दिनांक 10.08.2022 व 11.08.2022 के लिए सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 व 2, आगरा की युगल पीठ गठित की गयी **थी**।

सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, आगरा द्वारा अपने पत्र संख्या–284 / 2022 दिनांक 02.08.2022 से यह सूचित करते हुए कि दिनांक 09 व 10.08.2022 को मोहर्रम का त्यौहार व अन्य आवश्यक व्यक्तिगत कार्य होने के कारण वह दिनांक 10.08.2022 व 11.08.2022 को अवकाश पर रहेगें, जिस कारण अलीगढ पीठ में उक्त गठित युगल पीठ की अवधि में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।

अतः सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, आगरा के उक्त अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय के आदेश संख्या–1104 / 2022 दिनांक 02.08.2022 में आंशिक संशोधन कर युगल पीठ दिनांक 16.08.2022 व 17.08.2022 के लिए गठित की जाती है। आदेश दिनांक 02.08.2022 की अन्य स्थिति यथावत् रहेगी।

ह0 / 03.08..2022
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / युगल पीठ / 1110 / 2022. तद्दिनांकः:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 व 2, आगरा ।

2– सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–अलीगढ़।

3– प्रधान सहायक / पेशकार / व0सहा(या0भ0) / विवरण / कम्प्यूटर, मुख्यालय ✓

4– सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी

आज्ञा से,
(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।